कार्यालय परियोजना अधिकारी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

निविदा फॉर्म

निविदा फार्म शुल्क 200/– रूपये

1– भोजन/अल्पाहार आपूर्ति का कार्य

2– निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व पता ——————————————————————

————————————————————————————————————

संदर्भः– (अ) निविदा क्रमांकः–

(ब) अनुमानित लागत– 6.00 लाख रूपये

3– (अ) निविदा प्राप्त करने की अन्तिम दिनांकः– 04.01.2016 दोपहर – 11.00 बजे तक

(ब) निविदा खोलने की दिनांक– 04.01.2016 दोपहर– 04.00 बजे

4– निविदा शुल्क/धरोहर राशि का विवरण–

(अ) निविदा शुल्क की राशि रूपये 200/– नकद/डी.डी. नम्बर/पोस्टल नम्बर/चालान नम्बर———————— बैंक का नाम ——————————
दिनांक——————

(ब) निविदा प्रपत्र वेब साईड से डाउनलोड करने पर 200/– का डी.डी. निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

(स) धरोहर राशि रूपये 12000/– नकद/ डी.डी. नम्बर/चालान नम्बर ——————

बैंक का नाम —————————————— दिनांक———————

मैने/हमने निविदा सूचना, निविदा प्रपत्र मे दी गई सभी शर्तो का भली भांति अध्ययन कर लिया है एवं मै/हम पूर्ण रूप से सहमत है । मैने/हमनें निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

अनुमानित संख्या 1000 व्यक्ति प्रति दिन
(दिनांक 07.01.2016 को सांय से दिनांक 10.01.2016 की दोपहर तक)

क्र.सं.	प्रस्तावित भोजन अल्पाहार जलपान मीनू विवरण (सामग्रीं, श्रम एवं केटंरिग सहित)	प्रस्तावित दर अकों में एवं शब्दों में
1–	अल्पाहारः– (समय प्रातः 06.30 से 09.00 तक) 1. चाय / कॉफी / दुध प्रति दिन 2. कचौरी / आलूबडा / ब्रेड बडा (चटनी / टमाटर सोस एवं ब्रेड) कोई एक प्रति दिन अलग अलग 3. पोहा एवं नमकिन सेव प्रति दिन 4. आर0 ओ0 पानी के केम्पर मय डिस्पोजल	
2–	**लंच–** (समय प्रातः 12.00 से 02.00 तक) 1. गर्म पूडी, रोटी, 2. मिक्स दाल प्रति दिन एवं फ्राई हरी सब्जी (पत्ता गोबी–मटर, फूल गोबी–मटर, भिण्डी) कोई एक प्रति दिन अलग अलग 3. नमकीन खिचडी / पुलाव, पापड, छाछ, अचार, ग्रीन सलाद प्रति दिन 4. एक मिठाई (लड्डू मोती चूर / गुलाब जामून / बेसन चक्की) कोई एक प्रति दिन अलग अलग 5. आर0 ओ0 पानी के केम्पर मय डिस्पोजल	
3–	**अपरान्हः–** (समय प्रातः 03.30 से 04.30 तक) 1. चाय / कॉफी / दुध 2. बिस्कीट नमकीन / मीठे दोनों 3. मोसमी फल (केला / अमरूद / गाजर) कोई एक प्रति दिन अलग अलग 4. आर0 ओ0 पानी के केम्पर मय डिस्पोजल	
4–	**रात्रि का भोजनः–** (समय प्रातः 06.30 से 09.00 तक) 1. पूडी, रोटी, 2. फ्राई हरी सब्जी (आलू–मटर, पालक–मटर, आलू–बेगंन) (कोई एक) एवं मूंग दाल, तुअर दाल, कडी पकोडा (कोई एक) प्रति दिन अलग–अलग 3. चावल, पापड, अचार, सलाद 4. आर0 ओ0 पानी के केम्पर मय डिस्पोजल	

निविदादाता के हस्ताक्षर

शर्ते :–

1– किसी भी निविदा को या उसके किसी भी भाग को कारण बताये बिना अस्वीकृत करने का अधिकार परियोजना अधिकारी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर के पास सुरक्षित है।

2– परियोजना अधिकारी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर न्यूनतम दर वाली निविदा को स्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं है।

3– निविदादाता को निविदा के साथ धरोहर राशि नकद या बैंक ड्राफ्ट (जो कि परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के पक्ष में देय होगा) के रूप में जमा करानी होगी। चैक स्वीकार नहीं किया जाएगा। धरोहर राशि के बिना निविदा स्वीकार नही होगी।

4– निविदादाता या उसके प्रतिनिधियों की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से की जाने वाली संयाचना के कारण निविदा अमान्य होगी।

5– निविदा स्वीकृति के पूर्व परियोजना अधिकारी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर के अधिकृत अधिकारियों को फर्म के निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

6– भोजन एवं अल्पाहार सामग्री कार्यालय द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर तैयार करनी होगी।

7– प्राप्त निविदाओं के आधार पर न्यूनतम स्वीकृत दर पर एक से अधिक फर्मो से भी अनुबन्ध किया जा सकेगा।

8– फर्म द्वारा प्रस्तुत बिलों का भुगतान करते समय स्त्रोंत पर नियमानुसार कर एवं प्रभार यदि कोई हो तो कटौती की जायेगी।

9– फर्म सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को माने जाने हेतु बाध्य है। किसी भी संशय की स्थिति में शंका के निवारण हेतु परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर से सम्पर्क कर किया जा सकता है ।

10– सफल निविदादाता को निर्धारित प्रारूप में रू0 1000/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर एक करार निष्पादित करना होगा। निविदा राशि के 5 प्रतिशत की दरे से प्रतिभूति के रूप में राशि जमा करवानी होगी। लिखित में प्रार्थना पत्र देने पर धरोहर राशि में समायोजित की जा सकेगी। प्रतिभूति की राशि सन्तोषप्रद कार्य पूर्ण होने तथा बिल राशि का भुगतान होने के पश्चात् मांग करने पर लौटा दी जाएगी।

11– करार विफल होने पर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी। केन्द्र/राज्य सरकार के उपक्रमों सें प्रतिभूति राशि जमा कराने की अपेक्षा नहीं की जाती है।

12— लघु उद्योग इकाई के रूप में पंजीकृत फर्मो को प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने पर प्रतिभूति राशि में नियमानुसार छूट देय है।

13— निविदाएं निर्धारित प्रारूप में बन्द लिफाफें में स्वीकार की जायेगी। लिफाफे पर निविदा कार्य का नाम, निविदा संख्या एवं फर्म का नाम, पूर्ण पता एवं फोन नम्बर स्पष्ट रूप से अंकित करें।

14— निविदाएं खोलने बेचने की दिनांक को अवकाश होने की स्थिति में निविदाएं अगले कार्य दिवस को खोली/बेची जावेगी।

15— निविदा स्याही से भरी जानी चाहिए। पेन्सिल से या अन्यथा भरी निविदा पर विचार नही किया जाएगा। निविदा में परिवर्तन अथवा परिवर्धन स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी भी अन्य स्थान पर किये गये अपरलेखन (कटिंग) पर सूक्ष्म हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। प्रस्तावित दरे अंकों एवं शब्दों में स्पष्ट रूप से अंकित की जावें।

16— निविदादाता द्वारा प्रस्तावित दरों में केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के करों का पृथक से उल्लेख न होने पर समस्त करों का दायित्व निविदादाता का होगा।

17— भोजन अल्पाहार आदि हेतु प्रर्याप्त मात्रा (200 व्यक्तियों पर एक काउन्टर) में केटरिंग काउन्टर निर्धारित समय से पूर्व लगाने होगें।

17— किसी भी विवाद के लिए न्याय क्षेत्र उदयपुर शहर होगा।

18— मैने/हमनें उपरोक्त समस्त शर्तो/संलग्न शर्तो एवं निर्देशों को पढकर समझ लिया है एवं उपरोक्त शर्तो से पूर्ण रूप से सहमत हूॅं/हैं। जिसके प्रमाण में मैने/हमनें प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

विशेष शर्ते –

1– केंटीन में विभाग के अधिकारियो/कर्मचारियों के अतिरिक्त बाहर के व्यक्तियों का प्रवेश निषेध रहेगा।

2– **भोजन हेतु संभागीयों की संख्या प्रभारी अधिकारी द्वारा चाय–नाश्ते के लिए दो घण्टे पूर्व एवं भोजन हेतु तीन घण्टे पूर्व बताये अनुसार होगी। तद्नुसार भोजन की व्यवस्था करेगें। उक्तानुसार बताई गई संख्या के अनुसार ही भुगतान देय होगा।**

3– भोजन गुणवत्ता की दृष्टि से उत्तम होना चाहिए तथा स्वास्थ्य मानदण्डानुसार होना चाहिए जिसकी जांच समय–समय पर पदाधिकारियों एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा कराई जा सकती है। मिठाई शुद्ध देशी घी में एवं अन्य सामग्री मूंगफली तेल में निर्मित की जानी होगी। प्रस्तावित भोजन मीनू में उच्चाधिकारीयों के निर्देशानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

4– भोजन/नाश्ते के लगभग दो घन्टे के अन्दर यदि किसी संभागी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

5– केटरिंग, डिस्पोजल आदि की व्यवस्था साथ में सम्मिलित है।

6– निविदा के साथ नगर निगम, उदयपुर का आवश्यक लाईसेन्स/प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।

7– चाय, नाश्ता, दोपहर का भोजन एवं रात्रि भोजन के समय की जानकारी एक दिन पूर्व प्रभारी अधिकारी से लेकर निर्धारित समय पर ताजा उपलब्ध कराना होगा। उक्तानुसार कोई भी कार्य समय पर नहीं होने की दशा में वेकल्पिक व्यवस्था कार्यालय/प्रभारी अधिकारी स्तर पर की जाने पर होने वाले समस्त व्यय आगामी भुगतान राशि में से कटौती कर ली जायेगी।

8– आर0 ओ0 पानी की व्यवस्था यथा केम्पर इत्यादि मैदान/आयोजना स्थल पर पुरे समय के लिए (डिस्पोजल के साथ) की जानी है।

निविदादाता के हस्ताक्षर